आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 92/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 27 बीकेसी, सी–27, जी ब्लाक, बांद्राकुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (ई) मुम्बई एवं शाखा कार्यालय डी–231/231, एसडीसी टॉवर, नियर आम्रपाली सर्किल, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स अशोका उद्योग प्रोपराईटरशिप फर्म ताराचन्द टेकवानी
   पता :– प्लॉट नम्बर एफ–436, रोड नम्बर 12, वी.के.आई. एरियो जयपुर।
2. श्री चन्द कुमार टेकवानी
3. श्री अशोक कुमार टेकवानी
4. श्री ज्ञानचन्द टेकवानी
5. श्रीमती ललीता टेकवानी
6. श्रीमती परमेश्वरी टेकवानी देवी
   पता :– प्लाट नम्बर 115 बी, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क वार्ड नम्बर 36, जयपुर।
7. श्री सालासर बालाजी उद्योग प्रोरपराईटरशिप फर्म अशोक कुमार टेकवानी
   पता :– प्लाट नम्बर एफ–436, रोड नम्बर 12, वी.के.आई. एरिया, जयपुर।
8. मैसर्स चन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी प्रोपराईटरशिप फर्म चन्द्र कुमार टेकवानी
   पता :– शॉप नम्बर 233, चतुर्भुज जी का खंधा, छोटी चौपड, जयपुर।
9. ताराचन्द टेकवानी
   पता :– प्लॉट नम्बर 115 बी, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क वार्ड नम्बर 36, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थितः–

1. श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश **दिनांक 11.04.2022**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.07.2009 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री ताराचन्द टेकवानी के स्वामित्व की सम्पति शॉप नम्बर 165 एवं सीरियल नम्बर 234, खंधा चतुर्भुज जी में स्थित, गणगौरी बाजार, चौकडी पुरानी बस्ती, जिला जयपुर क्षेत्रफल 59.77 वर्गमीटर एवं श्रीमती परमेश्वरी टेकवानी एवं श्रीमती ललिता टेकवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति 115–बी, सिन्धी कॉलोनी, वनीपार्क, जयपुर क्षेत्रफल 292 वर्ग गज एवं मैसर्स अशोका उद्योग जरिये आईटीएस प्रोपराईटर श्री ताराचन्द टेकवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति एफ–436, विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीज, जयपुर क्षेत्रफल 2092 वर्ग मीटर एवं मैसर्स सालासर बालाजी उद्योग जरिये प्रोपराईटर श्री अशोक कुमार टेकवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर जे–486ए, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा विस्तार द्वितीय, जयपुर क्षेत्रफल 290 वर्ग मीटर को बन्धक रख कर 02,03,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.09.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस

जस्ट्रेट जयपुर

जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 02,03,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 1,25,80,793.6/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.09.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी श्री ताराचन्द टेकवानी के स्वामित्व की सम्पति शॉप नम्बर 165 एवं सीरियल नम्बर 234, खंधा चतुभुर्ज जी में स्थित, गणगौरी बाजार, चौकडी पुरानी बस्ती, जिला जयपुर क्षेत्रफल 59.77 वर्गमीटर एवं श्रीमती परमेश्वरी टेकवानी एवं श्रीमती ललिता टेकवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति 115–बी, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर क्षेत्रफल 292 वर्ग गज एवं मैसर्स अशोका उद्योग जरिये आईटीएस प्रोपराईटर श्री ताराचन्द टेकवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति एफ–436, विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीज, जयपुर क्षेत्रफल 2092 वर्ग मीटर एवं मैसर्स सालासर बालाजी उद्योग जरिये प्रोपराईटर श्री अशोक कुमार टेकवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर जे–486ए, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा विस्तार द्वितीय, जयपुर क्षेत्रफल 290 वर्ग मीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
7. आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/04/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर